

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602912

ग्राम क्रमांक : 115192      ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद)      तहसील : मुरादाबाद      जनपद : मुरादाबाद      फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)      भाग : 1      (1) खाता संख्या : 00046

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
698मि	1) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास 2) प्राधिकरण मुरादाबाद		1384फ	698मि(1151920698200112)	0.1350	1) 1/2 2) 1/2	1) 0.0675 2) 0.0675	232.25
							0.1350	

कुल गाटे : 1      कुल क्षेत्रफल - 0.1350 (हेक्टेयर)      कुल भू-राजस्व - 232.25 रुपये      कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1350)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		698मि(1151920698200112)			698मि(1151920698200112)	

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :



## आदेशों का विवरण

- 1) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.3.5.2013के अनुपालन मे द्वारा फार्म प.क. 23 के अत्रगत खतोनी वर्ष 1420 से 1425फे खाता स् 1.42के गाटा स् 1.620मि/0.833पर त्रुटि वश खातेदार कमरूददीन का नाम दर्ज करने से छूट गया है की त्रुटि की शुद्धि करते हुये पूर्व खतोनी 1414फ से 1419फ के
- 2) खातास् 1.136के आधार पर गाटा स् 1.620मि/0.833मे कमरूददीन पुत्र हमीद उर्फ छोटे नि0हरथला का नाम वतोर सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो ह0आर0 के 029.5.13
- 3) 1421फ0आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 19.8.13के अनुपालन मे द्वारा फार्म प.क.23.के अन्तर्गत खतोनी वर्ष 1420फ0 से 1425फ0के खाता सं.42के गाटा सं.636अ 0.352 हे0व खसरा नं.636व/0.506हे0पर त्रुटि वश मु0 अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम
- 4) छूट गया है की त्रुटि की शुद्धि करते हुए पूर्व खतोनी 1414फ0से 1419फ0के आधार पर गाटा सं.636अ/0.352हे0व खसरा नं.636व/0.506हे0पर उपाध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण के साथ मु0अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो 1 ह0आर0के 0दि20.8.13
- 5) 1421फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद वाद स् 1.462/14.2.14को आदेश हुआ कि खाता स् 1.42के गाटा स् 1.636अ/0.352.गाटा स् 1.636ब/0.506कुल 2कि ता 0.858हे लगान वमुजिव खतोनी के वकदर भाग से व खाता स् 1.40के गाटा स् 1.837/0.640हे.लगान वमुजिव खतोनी के वकदर भाग
- 6) से मृतक श्रीमती अफसरी पत्नी स्व0छिददा नि0 मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर मदरसा इस्लामी मडईयो वाली मस्जिद बाके ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुतवल्ली गफफार हुसैन पुत्र फहमूद हुसैन नि0मिलक
- 7) भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 13.8.2008के आधार पर संक्र मणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज हो ह0आर0के 026.02.14
- 8) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.टी 20151354013037/15.7.15 को आदेश हुआ कि खाता सं.42 खसरा नं.636अ/0.352हे0व 636ब/0.506हे0 कुल 2कि ता कुल रकबा 0.858हे0 के वकदर भाग से विक्रेता गफफार हुसैन पुत्र फरमूद हुसैन निवासी मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील
- 9) व जिला मुरादाबाद मिनजानिब मुतवल्ली मदरसा इस्लामी मडईयो वाली मस्जिद ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुरादाबाद का नाम निरस्त कर उनके स्थान पर क्र ेता शुजाउल इस्लाम पुत्र जमीरउददीन निवासी मौहल्ला मियां सराय तसपुर तहसील व जिला . सम्भल का नाम बजरिये पंजीकृत व बैनामा दिनांक 26.5.15
- 10) के आधार पर दर्ज हो ह0आर.के...15.7.15

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(RAGISTRAR KANOONGO)

दिनांक समय स्थान: 12-02-2026 04:02:23 तहसील : मुरादाबाद

यह उद्घरण खतोनी इलकृतानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHATNAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 04:02:23

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतोनी का वेरीफिकेशन

<https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।



# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602913

ग्राम क्रमांक : 115192      ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद)      तहसील : मुरादाबाद      जनपद : मुरादाबाद      फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)      भाग : 1      (1)खाता संख्या : 00377

श्रेणी : 4-क / उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण,अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
698मि	1) अतिरिक्त घोषित भूमि --- / ---			698मि. (1151920698200342)	0.3410	1) 1/1	1) 0.3410	2.10
							0.3410	

कुल गाटे - 1      कुल क्षेत्रफल - 0.3410 (हेक्टेयर)      कुल भू-राजस्व - 2.10 रुपये      कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.3410) (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		698मि. (1151920698200342)			698मि.(1151920698200342)	

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :



18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम कोड बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150 न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि-19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/1201सरकार बनाम पूरन मे अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग
- 2) मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा0 नि0 पाकबड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता स. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183 आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर मे गाटा सं. 263पर अमलदरामद मे हुई त्रुटि का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि /1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो ह.ले .25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता स. 240.295.370, के गाटा स0 263मि /2.27एकड़ मे से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रू के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्रोई पुत्र रामसरन विश्रोई नि.वी.एस-41 दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहेसियत मुख्तयारेआम
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रोई पत्नी रामराज सिंह विश्रोई वि.एस.-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजरामसिंह पुत्र रामसरनसिंह नि.विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 8) ह ले.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240.295.370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि /0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश: 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह .ले. 31.1.03
- 11) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु.पुनिया मे गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि =2043.20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व0ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपंजीकृत वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले.24.1.04
- 13) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी. 03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्रगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन और पुनिया दोनो की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति मे
- 14) मे गाटा सं.263मि.जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04
- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि /0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊ षा वर्मा पत्नी घनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौ मंडावर बिजनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व0राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए वेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक सूँ.220B/न.भू.सी/2001दि. 2.3.01के अत्रतगत वाद सूँ.264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अत्रतगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94मे गाटा सूँ.336मि/ 1983.03वर्ग मी.गाटा सूँ.263मि/2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू- धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकबड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता सूँ.370से मृतक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायनदास नि.ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह. ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद स0688/134/1601/06आदेश दिनाक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातास0370गाटास0303मि रकवा 0.221व गाटास0239मि 0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनाक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) ग्ँगाराम उर्फ गजराम व कु व्ँरसैन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम तथा बादह विक्रय पत्र ग्ँगाराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव0 विक्रय पत्र अमृत लाल आदि बहक कँ चन



- के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराजी खातासं.370गाटासं.0303मि/ 0.221 है 0 से 0.202भाग से गंगाराम उर्फ गजराम
- 22) व कु वर सैन पुत्र खिम्मी नि.सोनकपुर का नाम खारिज करके श्रीमती के चन तलवार पत्नी सी0एल0तलवार नि0102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो
- ह0आर0के 0दिनांक 31-1-07
- 23) 1409फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरा0के पत्रांक स् 323/न.भू.सी./2001दि.14.5.01 स् 08903न.भू.सी./99दि.8-4-99के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियत अधिनियम 1976की धारा 6(1)के अन्तर्गत भू-धारिका श्रीमती कमला व हू पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लाईन मुरा0ग्राम सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा स् 0355के 1 2भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तर्गत आदेश दि.12.5.98 को भू-धारक के पक्ष में छोड़ दिया है ह.ले.2.7.01
- 25) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा0पत्रांक स् 0 235/न.भू.सी./07दि.29.11.07 के अन्तर्गत पूर्व में अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स् 0.90मि 1423.20वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा स् 0.516मि/1144.72वर्ग मी.कु ल 2567.92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- 26) सरन भटनागर पुत्र स्व.रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष में दर्ज हो ता तथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वादस् 0.1448 5011में सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा स् 0.
- 27) 516रकवा 1144.72व0मी0ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स् 0.90मि रकवा 1423.20व0मी0कु ल 2567.92व0मी0भूमि पर तहसीलदारमुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकारमें पक्ष में कब्जा लिया गया । अतः उक्त भूमि राज्यसरकार के पक्ष में दर्ज हो ह0आर0के 010.3.08
- 28) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन में आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305/944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अन्तर्गत सरकार
- 29) वनाम जेटू में गाटा स.866व844जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के वाहर स्थित है की क्रमश.4856-40व0मी0व647.52व0मी0अर्थात कुल 5503.92व0मी0भूमि उसकी कुल 8393.52 व0मी0में से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60व0मी0भूमि होती है
- 30) अतः भूधारक की 889.60व0मी0भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा स.650से अभ्यर्पित की जायेगी तदनुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय ा ह0आर0के0दि3.11.08
- 31) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारीनगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158/न0 भू0सी0/08दि.30.7.08के अनुपालन में पत्रांक 114/न0भू0सी0/03दि.28.5.03के अन्तर्गतसीलिंग वाद स् 0.1532 5019में दायर अपीलमें माननीय अपर जिलाजज षष्ठम मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि.29.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्डकिया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्चन्यायालयइलाहवाद् में दायर रिट याचिका स् 0.6729 97माननीय न्यायालय के आदेश दि.15.3.97के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात् निरसन अधिनियम
- 33) 1999प्रभावी हो जान के कारण स् 0क्षम प्राधिकारी के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त वाद निरसितकिया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदनुसार वाद में कब्जा ली गई निम्न लिखित भूमि पर भूधारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान
- 34) पर भूधारक श्री वालकिशोर भटनागर पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र नि0हरथला के नाम दर्ज होग्राम का नाम/गाटा स् 0.0/क्षेत्रफल वर्ग0मी0मेक्रम स् 0.1-ग्राम मऊ गाटा स् 0.516मि रकवा 1144.72वर्ग0मी0व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा स् 0.90मि रकवा 1443.83वर्ग0मी0कुल 2किता रकवा 2588.55वर्ग
- 35) मी0 ह0आर0के07.3.09
- 36) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद् . वाद सं.1856/28.5.09को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं.385 के खसरा न.866 रकबा 0.486हे0लगानी बमुजिब . खतौनी के पूर्ण भाग में से 0.80एकड़ पर से विक्रेता . चन्द्रसैन पुत्र स्व0जेठू निवासी मिलक भोला सिंह तह0
- 37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर क्रेता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह0 अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ .स0भू0के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात् मृतक शेर सिंह .पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह0.
- 38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल .निवासी हाल खुशहालपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95सं0भू0 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ह0आर.के.. 5.6.09
- 39) 1417फ.आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं.शून्य /2007-08धारा 219एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं.195पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008के लिए नोटिस जारी
- 40) किये जाय । अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं.7/89/07एवं अपील सं.26/123उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं.353/03भानुप्रकाश वनाम मु.पुनिया तथा वाद सं.97भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 41) पुनिया तलव की जाय । तव तक प्रतिपक्षी सं.1भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि.दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण/विक्रय करने से निषेध किया जाता है । ह0आर0के0दि25.7.09

- 417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरा0 के आदेश दि.22.9.09के अनुपालन मे आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगरभूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/100भू0सी008दिनांक 3.10.08के अत्रगत शासन देश सं.513 उन्वास-152(47)यू0सी083दिनांक 6.9.86के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 43) हुये नये सिरे मे भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावतित की गई तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.24.12.87द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.879/8943.87व0मी0गाटा सं.873/654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई । सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.17.2.01के
- 44) द्वारा निरसन अधिनियम 1999के अनुसार वाद पत्रांक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01के द्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा सं.879/8943.87व0मी0गाटा सं.873/654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया
- 45) जबकि उक्त वाद मे गाटा सं.879/8943.87 व0मी0व गाटा सं.873/रकबा 1059.14व0मी0का कब्जा दिनांक 22.3.79को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया । अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी पत्रांक 217 वी0दिनांक 2.3.01के प्रस्तर-3 मे अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.873/654.44व0मी0के
- 46) स्थान पर 1059.14व0मी0सही पढा जाय । ह0आर0के 023.9.09
- 47) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न0भू0सी0/010 दिनांक 30.4.10के अत्रगत वाद सं.2759/101 सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मे धारा 10(3)के उपरान्त धारा 10(5)की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के अत्रगत सक्षम
- 48) प्राधिकारी के आदेश दि.20.2.08के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं.538/1133.16 व0मी0गाटा सं.541/654.45व0मी0भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर0के 0दि.5.5.10
- 49) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा0 वाद सं.455/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं.385 के गाटा सं.866/0.486 हे.लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता चन्द्र सैन पुत्र स्व0जेठ नि0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्र ेता
- 50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के 016.6.10
- 51) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा0वाद सं.117/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं.385 के गाटा सं.866/0.486 हे.लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि0ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्र ेता
- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के 0 27.7.10
- 53) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं.77/10धारा 143ज0वि0अधि0आदेश दि.18.6.10के अत्रगत मे हिन्द निहोन प्रोटिन्स वनाम सरकार मे तहसील आख्या / सस्तुति के आधार पर खाता सं.30गाटा सं.566/0.028 का 1/2भाग एवं खाता सं.385 के गाटा सं.538मि/0.113
- 54) 541/0.065हे को अकृ षिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के 018.8.10
- 55) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.31/820/454/2011-12धारा34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं.371 गाटा सं.263/2043.20 वर्ग मी0 भानूप्रकाश वनाम . मु0पुनिया मे दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्रगत वाद मे वसीयत अपंजीकृ त होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) मे हुए संगोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 मे मौके पर आबादी / गैर कृ षि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है. विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है , उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है . ह0आर.के...1.4.2013
- 58) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18नवम्बर 2014 के क्र म मे . मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/2011ख खमानी बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) मे पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं.669 रकबा 2549.61वर्ग मी0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते मे अंकित है , जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये , शासनादेश संख्या 319जी0कदिनांक
- 60) 14.01.1980 मे धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम मे अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग के वल कृ षि के लिये कि या जायेगा , 2- भूमि प्लाटिंग कर विक्र य अन्तरण नहीं कि या जायेगा , परन्तु कृ षक प्रयोजन हेतु विक्र य अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा , 3- कृ षक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन ) में उल्लिखित कि सी बैंक , वित्तीय संस्था अथवा . के न्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष मे कि या जा सके गा, ह0आर.के...2.12.2014
- 62) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वादसं012151354014307 आदेश दि.24.8.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371 के गाटासं.263/1 रकबा 0.2020हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमुजिव खतौनी पर अंकित त मृतका श्रीमती पूनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानूप्रकाश पुत्र
- 63) स्व0ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं0भू0के रूप मे अंकित त हो । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क011 ख आदेश दि.12.2.1994 निरस्त कि या जाता है । ह0आर.के

- 64) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0120151354014413 धारा 210एल0आर0एक्ट आदेश दि.28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि बनाम भानुपताप शर्मा मे खतोनी वर्ष 1420-25 के खातासं.371के खसरानं. 263/1 रकवई 0.2020हे. अर्थात् 2020.00वर्ग
- 65) मीटर लगान बमुजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है । ह0आर.के 07.9.15
- 66) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर,मुरादाबाद द्वारा वादसं0120141354015842 आदेश दि.15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकवा 0.040हे. लगान बमुजिव खतोनी के बकदर भाग मे से 0.0100हे. पर से विकेता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 67) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर केता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शेलेन्द्र सक्सेना निवासी डी-73 , आवर्तिका कालोनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये बैनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो । ह0आर.के 0
- 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. T20141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है । की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है । ह0आर.के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद , पत्रांक 2060/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फैजबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं.-316 1589 मे धारा -45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है .जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे . अमलदरामद कि या गया , लेकिन न प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है. ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित करें. ह0आर.के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू-10सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315 1589 मेधारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों ह0आरके23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय. के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हों ह0आर0के0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय. के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हों. ह0आर0के0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0 की उद्धरण खतोनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमे 0.3080हे0अर्थात् 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार बनाम मुख्खार मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25व0मी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अत : ग्राम सोनकपुर के

798 की 3080 वर्ग मीटर भूमि जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो 1 के स्थान पर श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्त्यार अथवा उनके वैध वारिसों के नाम दर्ज हो 1 ह0आर0के0दि 12.8.16

80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्यूटर वाद सं0 टी 20151354014413 धारा 210 एल0आर0एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा मे आदेश दि 28.9.16 के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई हे तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015 को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420फ से 1425फ के खाता सं0 371 के खसरा नं0 263/1 रकवई 0.2020 हे0 अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमूजीब दर्ज हो ह0आर0के0दि 03.10.16

81) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन मे आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या टी 2016130092 धारा 219 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि मे ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed. हआरके08-03-17


82) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न0भू0सी0/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 316/1589 सरकार बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016 /मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0सरकार मे ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 रकवई 4168-41 व गाटा संख्या 547 रकवई 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन मे उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम दर्ज हो हआरके08-03-17

83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17-06-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये है तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेला अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो के स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्त्यार अथवा उनके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये है दिनांक 12-08-16 को वापस ले लिया गया है तदानुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष मे किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है हआरके24-3-17

84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन मे - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं टी201813540100557 धारा 144 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के निस्तारण तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे हआरके19-02-18

85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस0बी0तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी0 2017130092 धारा 219 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 27/07/2017 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं0 371 के गाटा सं0 263/1 रकबा 0.202 हे0 अर्थात् 2020.00 वर्ग मी0 पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/08/15 एवं अपीलीय न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है . इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो, भी निरस्त किया जाता है ह0आर0के0 ह0आर0के0 19/05/2018

86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा0नि0 दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 20201313500719001441 राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक 19.11.2020 को आदेश हुआकि खाता सं0 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह ,ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि0भोगपुर मिठौनी के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह0आर0के0दि 28.12.2020



Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(RAGISTRAR KANOONGO)  
दिनांक/समय/स्थान: 12-02-2026 04:02:35 तहसील : मुरादाबाद  
यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिग्नेचर द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHATNAGAR तहसील : मुरादाबाद  
मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 04:02:35  
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतौनी का  
वेरीफिकेशन <https://qpbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR  
Code Scan करके किया जा सकता है।